# दिनांक-17.12.2021 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 30 वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः- मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में विकास आयुक्त बिहार-सह-अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग–सह-महानिदेशक बिपार्ड, प्रधान सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग-सह-मिशन निदेशक बि.प्र.सु.मि.सो.,सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सचिव (संसाधन) वित्त विभाग, सचिव विधि विभाग उपस्थित रहे। बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

<u>कार्यावली बिन्दु:-01</u>

दिनांक- 05.02.2021 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

<u>कार्यावली बिन्दु:-02</u>

दिनांक-05.02.2021 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन (यथा- अनुलग्नक -2) को अनुमोदित किया गया।

**कार्यावली बिन्दु-03**

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के Audit Report पर विचारण।**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं इसके Reform Support Units (RSUs) का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का statutory audit निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी P Jyoti & Co. (CA) द्वारा किया गया है और उसने इन दोनों वर्षों का अलग-अलग प्रतिवेदन समर्पित किया है।

(यथा-अनुलग्नक-3)

**चार्टर्ड अकाउन्टेंट P Jyoti & Co. (CA) द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के Statutory Audit Report को शासी परिषद के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकार करने हेतु उपस्थापित किया जा रहा है।**

| | |
|---|---|
| **निर्णय:-** | **स्वीकृत। Audit obervations के आलोक में अनुपालन की कार्रवाई की जाए।** |

**कार्यावली बिन्दु-04**

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नये पैनल के निर्माण के क्रम में चयन के आधार में Gate Score संबंधित अर्हता में संशोधन किये जाने के लिए गए निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की 29वीं बैठक में आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु नए पैनल के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया था तथा उक्त क्रम में दिनांक 13.08.2021 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें चयन का आधार 2018/2019/2020 वर्ष (जो अधिकतम हो) का Gate Score (Computer Science and Information Technology) रखा गया था। विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त यह प्रकाश में आया कि वर्ष 2018 का

Gate Score तीन वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण अब मान्य नहीं रह गया है तथा संबंधित संस्था यथा, आई.आई.टी., गुवाहाटी द्वारा Gate Score/ Candidate ID उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

वर्त्तमान में 2019/2020/2021 का Gate Score अनुमान्य होने को दृष्टिगत रखकर आई.टी. प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु पैनल के निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-P.R.0004862 Ni.Ni2021-22 को रद्द करते हुए चयन का आधार 2019/2020/2021 वर्ष (जो अधिकतम हो) का Gate Score (Computer Science and Information Technology) रखे जाने का निर्णय शासी परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा लिया गया है तथा उक्त के आलोक में नया विज्ञापन प्रकाशित कर पैनल का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

**अतः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन आई. टी. प्रबंधकों के आलोच्य पैनल निर्माण के लिए चयन का आधार वर्ष 2019/2020/2021 का Computer Science and Information Technology में Gate Score (इन वर्षों में जो अधिकतम स्कोर हो ) किए जाने का लिए गए निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।**

| | |
|---|---|
| **निर्णयः-** | **स्वीकृत।** |

**<u>कार्यावली बिन्दु-05</u>**

**शासी परिषद की 29 वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-30.06.2021 तक किया गया है, को दिनांक-31.10.2021 एवं पुनः दिनांक-31.03.2022 तक विस्तारित किये जाने के बिंदु पर तथा अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये वैसे कार्यपालक सहायक जो दिनांक- 31.07.2021 को आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित**

**नहीं हुए हैं अथवा असफल हो जाते हैं, को भविष्य में आयोजित होने वाली अगली दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम रूप से एक और अवसर दिए जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।**

शासी परिषद की 25 वीं बैठक के निर्णय के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिला के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त नियोजन हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस निर्णय के क्रम में शासी परिषद के 29 वीं बैठक के द्वारा अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-30.06.2021 तक किया गया है। इस अवधि में बेल्ट्रान द्वारा 31.07.2021 को परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमे अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित एवं कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक सम्मिलित नहीं हुए थे। उक्त के आलोक में तथा बेल्ट्रान द्वारा परीक्षाफल घोषित करने में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखकर अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-31.10.2021 तक एवं पुनः दिनांक-31.03.2022 तक विस्तारित किये जाने तथा अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये वैसे कार्यपालक सहायक जो दिनांक-31.07.2021 को आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा असफल हो जाते है, को भविष्य में आयोजित होने वाली अगली दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम रूप से एक और अवसर दिए जाने के बिंदु पर शासी परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का अनुमोदन प्राप्त है।

**उक्त लिए गए निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।**

| | |
|---|---|
| **निर्णय:-** | स्वीकृत। |

**कार्यावली बिन्दु-06**

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत सृजित विभिन्न संविदात्मक पदों पर नियोजित एवं कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश की अनुमान्यता किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई.टी. प्रबंधक, आई.टी. सहायक एवं कार्यपालक सहायक आदि के संविदात्मक पद सृजित है। इन पदों पर नियोजित एवं कार्यरत सभी कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 के द्वारा अनुमान्य अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश की सुविधा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-436, दिनांक-26.03.2019 द्वारा संसूचित है। विशेष अवकाश संबंधी अनुशंसा नहीं रहने के कारण यह सुविधा नहीं दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य अपने नियमित महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्य रहा है, राज्य सरकार द्वारा 1992 से नियमित महिला कर्मियों के लिए प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं हाल में गृह विभाग द्वारा संविदागत महिला कर्मियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इसको दृष्टिगत रखकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित विभिन्न संविदात्मक पदों पर नियोजित एवं कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश का प्रावधान किये जाने का निर्णय शासी परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य सचिव –सह-अध्यक्ष,शासी परिषद द्वारा लिया गया है।

**इस निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।**

| | |
|---|---|
| **निर्णय:-** | **स्वीकृत।** |

**कार्यावली बिन्दु-07**

**"जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का सतत एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु अनुभवी एवं समर्पित प्रशासनिक/जानकार पदाधिकारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु सृजित विभिन्न प्रकार के संविदात्मक पदों की अवधि विस्तार/ प्रत्यर्पण के संबंध में दिनांक-08.07.2019 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक में कार्यावली बिन्दु-4 के रूप में लिए गए निर्णय में 154 जन शिकायत पदाधिकारी तथा 154 कार्यपालक सहायक के पदों का प्रत्यर्पण नहीं करने तथा इनका अवधि विस्तार किये जाने के बिंदु पर घटनोत्तर अनुमोदन।**

सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार के ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिए पूर्व से स्वीकृत 15 पदों के अवधि विस्तार के साथ 2811 अतिरिक्त पदों का सृजन 05 वर्षों के लिए किया गया था। इन पदों की स्वीकृत अवधि वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाप्त होने के आलोक में वैसे पद जिनकी आवश्यकता आगे भी है, के अवधि विस्तार तथा शेष पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव दिनांक-08.07.2019 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक में कार्यावली बिन्दु-4 अंतर्गत रखा गया था। सृजित/ अवधि विस्तार वाले कुल पदों की संख्या वस्तुतः 2807 रह जाने के आलोक में इन 2807 पदों में से 2494 पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार एवं शेष 313 पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव तथा 17 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव शासी परिषद के समक्ष रखा गया था, जिस पर शासी परिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-383, दिनांक-27.12.2017 द्वारा राज्य सरकार के सभी स्तर पर गठित जन शिकायत कोषांग का विघटन दिनांक-31.01.2018 के प्रभाव से कर दिये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा स्वीकृत जन शिकायत पदाधिकारी के 154

संविदात्मक पद (विभाग+जिला स्तर पर) तथा जन शिकायत कोषांग हेतु स्वीकृत किए गए कार्यपालक सहायक के 154 पदों के अवधि विस्तार का कोई औचित्य नहीं रह जाने को दृष्टिगत रख इनके आगे अवधि विस्तार नहीं करने का तथा इनके प्रत्यर्पण का प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम हेतु कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुये प्रस्ताव का आकलन करते हुये संशोधित/ नए प्रस्ताव एवं व्यय विवरणी की माँग की गयी है।

"जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम हेतु जन शिकायत पदाधिकारियों तथा उनके सहयोग के लिए कर्मियों की पुनः प्रासंगिकता तथा आवश्यकता को देखते हुए जन शिकायत पदाधिकारी के उपरोक्त वर्णित 154 पद तथा उनके सहयोगार्थ सृजित 154 कार्यपालक सहायक के पदों का प्रत्यर्पण नहीं कर इस कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन का अनुश्रवण आदि कार्य करने के लिये उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त क्रम में "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम की महत्ता तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर विभाग स्तर पर सृजित जन शिकायत पदाधिकारी के पद पर नियोजन हेतु पात्रता का विस्तार करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (विशेष सचिव स्तर/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर से सेवानिवृत) एवं भारतीय पुलिस सेवा के समकक्ष स्तर से सेवानिवृत इच्छुक पदाधिकारियों को भी इन संविदात्मक पदों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकता है। इनके चयन की प्रक्रिया, मानदेय भुगतान, आदि से संबंधित शेष शर्तें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-13690, दिनांक-22.12.2009 की कंडिका-4 के अनुरूप रखी जा सकती है। इनको बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों का अनुश्रवण का कार्य भी दिया जा सकता है।

अतः दिनांक-08.07.2019 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक में कार्यावली बिन्दु-4 के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु स्वीकृत किये गये पदों में से

2807 पदों में 2494 पदों के अवधि विस्तार, 313 पदों के प्रत्यर्पण तथा 17 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव की दी गयी स्वीकृति को निम्नवत संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है: -

1. "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम हेतु जन शिकायत पदाधिकारियों तथा उनके सहयोग के लिए कर्मियों की पुनः प्रासंगिकता तथा आवश्यकता को देखते हुए जन शिकायत पदाधिकारी के उपरोक्त वर्णित 154 पद तथा उनके सहयोगार्थ सृजित 154 कार्यपालक सहायक के पदों का प्रत्यर्पण नहीं कर इस कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन का अनुश्रवण आदि कार्य करने के लिये उपयोग में लाने का निर्णय लिया जा सकता है। संशोधित प्रस्ताव अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट -3 के अनुसार 2807 में से अब 2802 पदों का अगले आदेश तक अवधि विस्तार एवं 05 कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों का प्रत्यर्पण तथा परिशिष्ट -4 के अनुसार 17 नये पदों (डाटा इंट्री ऑपरेटर -10 पद एवं ऑफिस बॉय/गर्ल – 07 पद) का सृजन किया जा सकता है।

2. जन शिकायत पदाधिकारी के विभाग स्तर के 10 पद तथा इनके सहयोग हेतु 10 कार्यपालक सहायक के पद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (मुख्यालय) स्तर पर रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय/अन्य विभागों को उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष पद पूर्ववत जिला स्तर पर रहेंगे।

3. "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम की महत्ता तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर विभाग स्तर पर सृजित जन शिकायत पदाधिकारी के संविदात्मक पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार अभियंत्रण सेवा एवं बिहार स्वास्थ्य सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारीगण के नियोजन संबंधित पात्रता को संशोधित करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (विशेष सचिव स्तर/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर से सेवानिवृत) एवं भारतीय पुलिस सेवा के समकक्ष स्तर से सेवानिवृत इच्छुक पदाधिकारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकता है। इनके चयन की प्रक्रिया, मानदेय भुगतान, आदि से संबंधित शेष शर्तें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-13690,

दिनांक-22.12.2009 के कंडिका-4 के अनुरूप रहेंगे। इनके द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों का अनुश्रवण का कार्य भी किया जाएगा।

**इस प्रस्ताव की स्वीकृति शासी परिषद की घटनोत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष शासी परिषद द्वारा प्रदान की गई है। उक्त निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।**

| | |
|---|---|
| **निर्णय:-** | **स्वीकृत।** |

**<u>कार्यावली बिन्दु-08</u>**

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के खाता संचालन के लिए पूर्व से Authorised Signatories के अलावा प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भी Additional Signatory के रूप में नामित करने का लिए गए निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन।**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के Manual के Chapter-7 में प्रतिपादित Accounting Porcess and Procedure की विस्तृत व्याख्या की गई है जिसके पारा 7.1 में यह वर्णित है कि :

7.1 Opening a Bank Account

- The Mission Director Shall appoint bankers of the society
- **The Bank account will be operated jointly with a minimum of 2 signatories**
- The Cheque books and other documents related to the opening of the bank account shall be in the custody of the Finance & Accounts Officer or of any officer as decided by the Mission Director

- **Additonally, any of the following activities would require approval of the Governing Council**
    - Opening and closing of bank accounts
    - Appointment and cancellation of cheque signatories

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के Finance and Account Manual की कंडिका-3.3 में Authority for authorization of bills & invoices एवं Financial Limit का उल्लेख किया गया है जो निम्नवत है:-

**3.3 Authorization Levels**

| Levels | Financial Limit | Sanctioning Authority |
|---|---|---|
| I | More than Rupees twenty five lakhs | Mission Director |
| II | More than Rupees twenty five thousand but upto Rupees twenty five lakhs | Additional Mission Director |
| III | Upto Rupees twenty five thousand | Finance & Accounts Officer |

3. मिशन के वित्तीय प्रबंधन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक-08.10.2009 के बैठक की कार्यवाही की कंडिका-5 में यह निर्णित है कि सोसाइटी के लिए खोला गया बैंक खाता मिशन निदेशक के स्तर पर यथा निदेशित दो पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाली सहायक अनुदान की राशि मिशन कार्यालय के बैंक खाते में सीधे प्राप्त होती है। DFID से वित्त संपोषण की अवधि में प्राप्त राशि तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि के विनिमय के लिये एक अलग बैंक खाता का संचालन किया जाता है। लोकायुक्त के चयन तथा

कर्मचारी भविष्य निधि की राशि के विनिमय के लिये भी अलग-अलग बैंक खाता संचालित है जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

1. खाता संख्या-34171375427 (सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक अनुदान की राशि के लिये)

2. खाता संख्या-30939298621 (**DFID** से वित्त संपोषण अवधि में प्राप्त राशि तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग की राशि के लिये)

3. खाता संख्या-339883008927 (लोकायुक्त के चयन के लिये प्राप्त राशि)

4. खाता संख्या-38375726783 (कर्मचारी भविष्य निधि की राशि के विनिमय के लिये)

उपर्युक्त वर्णित क्रमांक संख्या-1, 2 एवं 3 से संबंधित बैंक खाता का संचालन पूर्व से नामित वित्त एवं लेखा पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक/मिशन निदेशक में से किन्ही दो पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इसका संचालन वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अपर मिशन निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा किया जा रहा था परन्तु पूर्व से Authorised Signatory के साथ ही कार्यहित में प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भी Authorised Signatory के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष शासी परिषद-सह-मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त कर सम्प्रति वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संबंधित खाता का संचालन किया जा रहा है। शेष क्रमांक संख्या-4 पर वर्णित खाता EPF से संबंधित है, जो नेट बैंकिग के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके संचालन के लिये Single Signatory के रूप में वित्त एवं लेखा पदाधिकारी को नामित किये जाने का अनुमोदन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की संचिका संख्या-02/2017 पर प्राप्त है जिसके अनुरूप EPF खाते का संचालन किया जा रहा है।

अतः **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के खाता संचालन के आलोच्य मामले में उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित क्रमांक 1, 2 एवं 3 के खातों के लिए पूर्व से** Authorised

Signatories के अलावा प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भी Additional Signatory के रूप में नामित करने का लिए गए निर्णय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

| निर्णय:- | स्वीकृत। |
|---|---|

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह./-
**(फूल चन्द्र चौधरी)**
सचिव, विधि विभाग

ह./-
**(लोकेश कुमार सिंह)**
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ह./-
**(डॉ.प्रतिमा)**
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सो.

ह./-
**(संतोष कुमार मल्ल)**
सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग
–सह- प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन

ह./-
**(चंचल कुमार)**
मिशन निदेशक-सह-
प्रधान सचिव, सा.प्र.वि.

ह./-
**(आमिर सुबहानी)**
विकास आयुक्त–सह-अपर मुख्य सचिव, यो.एवं वि.विभाग-सह-
महानिदेशक,बिपार्ड

ह./-
**(त्रिपुरारि शरण)**
मुख्य सचिव, बिहार

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**
(सामान्य प्रशासन विभाग)

**ज्ञापांक:-** बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- **2165,** दिनांक-**20.12.2021**
**प्रतिलिपि:-** अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, विधि विभाग, बिहार को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/21
**अपर मिशन निदेशक**

**ज्ञापांक:-** बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-10/2019 सो0- **2165,** दिनांक-**11.02.2021**
**प्रतिलिपि:-**मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/21
**अपर मिशन निदेशक**

A.D.